

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्कूल शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**  
**रायपुर, दिनांक 31.01.08**

**अधिसूचना**

क्रमांक एफ 6-2/08/20 राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में डाइट/बी.टी.आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में द्विवर्षीय डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :** (1) इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ डी. एड. प्रवेश नियम 2007 होगा। (2) यह छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी डी. एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं पर लागू होंगे। (3) यह अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी।
2. **परिभाषाएँ** – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेत न हो—
  - (क) “राज्य शासन” से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन,
  - (ख) “श्रेणी” से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
  - (ग) “संवर्ग” से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक,
  - (घ) “प्री डी. एड. परीक्षा” से तात्पर्य है, डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा,
  - (ङ.) “संचालक” से तात्पर्य है, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
  - (च) “अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय” से तात्पर्य है, ऐसी संस्था/महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन से किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल-अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और “गैर अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय” का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा,
  - (छ) “गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय”से अभिप्रेत है कि ऐसे संस्था/महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित हो।

(ज) "डाइट"से तात्पर्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं "बी.टी.आई." से तात्पर्य बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।

<sup>1</sup>(झ) "ऑनलाइन आबंटन" से अभिप्रेत है कि प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो डी.एड.पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आबंटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्री.डी.एड.परीक्षा प्रावीण्यता, संस्था/महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये संस्थाओं/महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर संस्था/महाविद्यालय का आबंटन किया जाता है।

### 3. डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश –

<sup>2</sup>(क) प्री डी. एड. परीक्षा:—सामान्यतया डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री डी. एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए आनलाइन आबंटन के माध्यम से दिया जायेगा।

(ख) मूल निवासी –राज्य के शासकीय तथा शासकीय अनुदान प्राप्त डाइट/बी.टी.आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में डी. एड. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(ग) आयु सीमा – डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु प्री डी.एड. परीक्षा वर्ष की 01 जुलाई को 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर)

- 
1. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
  2. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

4. **प्री डी. एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं** – डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी –

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) हायर सेकेण्डरी (कक्षा 12 वीं) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में 5 प्रतिशत छूट की व्यवस्था होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो + 2 परीक्षा में बैठे हैं प्री डी. एड. परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जाएगा। परन्तु उन्हें <sup>1</sup>आनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय + 2 परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

5. **डी. एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण** – डी. एड. पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगी, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

<sup>2</sup>(क) **वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी** वर्टिकल आरक्षण में जिलेवार आरक्षण लागू होगा अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षण का प्रतिशत जिलेवार आरक्षण सूची I के अनुसार होगा। इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले के डी.एड. संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, उसी जिले का निवासी अथवा उसी जिले से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करना होगा। आबंटन सूची जिलेवार जारी होगी। यदि किसी डाइट/बी.टी.आई.में आबंटन के पश्चात् सीट रिक्त रह जाती है तो उसे अन्य जिले के अभ्यर्थियों से प्रावीण्यता के आधार पर भरी जा सकेगी। नये जिले जिसमें डाइट/बी.टी.आई.उपलब्ध नहीं है के अभ्यर्थी अपने पूर्व जिले की डाइट/बी.टी.आई के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

- 
1. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
  2. नियम 5 (क) के स्थान पर छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

- (एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत।
- (ग) शासकीय और अनुदान प्राप्त डाइट/बी.टी.आई. में गणित एवं विज्ञान समूह के लिए कम से कम 50% स्थान आरक्षित होगा। शेष स्थान अन्य समस्त समूह जैसे कला, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, ललित कला इत्यादि के लिए होंगे। किसी एक समूह के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य समूह के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (घ) उपरोक्त आरक्षण नियम "गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं/महाविद्यालयों एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों" में लागू नहीं होंगे।

#### 6. प्री डी. एड. परीक्षा –

- (क) प्रतिवर्ष डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री. डी. एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- (ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री. डी. एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।
- (ग) प्री. डी. एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा—
1. सामान्य मानसिक योग्यता 30 प्रतिशत ।
  2. सामान्य ज्ञान 20 प्रतिशत ।
  3. शिक्षण अभिरूचि 30 प्रतिशत ।
  4. सामान्य हिन्दी 10 प्रतिशत ।
  5. सामान्य अंग्रेजी 10 प्रतिशत ।

(घ) केवल बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ड.) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

(च) प्री. डी. एड. परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

7. **प्रावीण्य सूची**—प्री. डी. एड. परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जायेंगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य, सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। प्रावीण्य सूचियाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक बनाई जायेंगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा। समान प्राप्तांक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

#### <sup>1</sup>8. ऑनलाइन आबंटन—

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आबंटन विधि से किया जावेगा।

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण — पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/- रु. (अक्षरी—तीन सौ रूपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी।

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।

(ड.) अभ्यर्थियों को संस्था/महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री. डी. एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

---

1. नियम 8 के स्थान पर छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

- (च) सीट आबंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी। सीट्स आबंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।
- (छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आबंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आबंटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।
- (ज) संस्था/महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आबंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

#### 9. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –

आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

#### 10. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश—

किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा—

- (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ग) अनुसूचित जाति श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

- (घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और इसके बाद भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ड.) सभी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी।

#### 11. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश-

इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी, परंतु यह नियम केवल निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं एवं गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में लागू होंगे।

#### 12. प्रवेश का निरस्तीकरण-

यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के संस्था/ महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्वसूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

#### 13. संस्था/महाविद्यालय की फीस-

सभी संस्थाओं/महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अधीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा। परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौंपेंगे तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता की सूचना के लिए प्रदेश के कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे। परंतु यह भी कि संस्थाओं/महाविद्यालयों को प्री. डी. एड. परीक्षा का प्रास्पेक्ट्स छापने के पूर्व अपनी फीस प्री. डी. एड. परीक्षा एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेक्ट्स में छापी जा सके। परंतु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी।

#### 14. नियमों की व्याख्या–

प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(नंदकुमार)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग



अनुसूची-I

जिलेवार आरक्षण का प्रतिशत

क्र.	जिले का नाम	संबंधित डाइट/बी.टी.आई.	आरक्षण का प्रतिशत			
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	सरगुजा	अम्बिकापुर	25	06	55	14
2.	कोरिया	कोरिया	25	06	55	14
3.	बिलासपुर	पेण्ड्रा, बी.टी.आई.बिलासपुर	43	19	24	14
4.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	43	19	24	14
5.	कोरबा	कोरबा	43	19	24	14
6.	रायगढ़	धर्मजयगढ़	25	12	49	14
7.	जशपुर	जशपुर	25	12	49	14
8.	राजनांदगांव	खैरागढ़, बी.टी.आई. डोंगरगांव	49	11	26	14
9.	कबीरधाम	कबीरधाम	49	11	26	14
10.	दुर्ग	बेमेतरा	60	13	13	14
11.	रायपुर	रायपुर	52	15	19	14
12.	धमतरी	नगरी	52	15	19	14
13.	महासमुंद	महासमुंद	52	15	19	14
14.	बस्तर	बस्तर	12	06	68	14
15.	कांकेर	कांकेर	12	06	68	14
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	12	06	68	14

सचिव,  
छ.ग.शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

**डी.एड. 2016 के लिए पाठ्यक्रम**  
**(सभी प्रश्न हायर सेकेन्डरी परीक्षा स्तर के पूछे जायेंगे)**

**भाग - 1**

**सामान्य मानसिक योग्यता**

**30 अंक**

**इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नांकित कार्य आते हैं :-**

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं - विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर क्षेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि-आदि।

**भाग - 2**

**सामान्य ज्ञान**

**20 अंक**

इस प्रश्न पत्र में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे।

1. भारतीय इतिहास  
भारत में सामाजिक व सांस्कृतिक विकास, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास (1857 से 1945 तक), 1947 के बाद का घटनाक्रम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुर्नजागरण, राष्ट्रीय एकता।
2. नागरिक शास्त्र/राजनीति विज्ञान  
मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधतायें, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, संसदीय शासन व्यवस्था, लोकसभा राज्य सभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान एवं संविधान संशोधन।
3. अर्थशास्त्र  
सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय बजट (शिक्षा के संदर्भ में), राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4. भूगोल  
प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्राणी समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति।
5. सामान्य विज्ञान  
मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता।
6. खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा  
भारत की विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग व शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकतर शिक्षा/पूर्ण साक्षरता अभियान/सतत् शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, शैक्षिक तकनीक विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण/प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण/सबके लिए शिक्षा/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व-शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा 2005, सतत् एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, दूरस्थ शिक्षा/संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन।

### भाग—3 शिक्षण अभिरूचि

30 अंक

शिक्षण अभिरूचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य व शिक्षा शास्त्र सम्मिलित है –

बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रूचि। इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा।

**शिक्षा शास्त्र से** संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार की कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों/तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

### भाग—4 सामान्य हिन्दी

व्याकरण

10 अंक

■ वर्ण विचार—

अक्षर, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग वचन आदि।

■ शब्द रचना—

उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द

■ शब्द विचार—

स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग— तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, युग्म शब्द

■ अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद—

पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थक

■ पद —

भेद— संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक

■ वाक्य परिचय—

वाक्य के अंग, वाक्य के भेद।

■ रचना—मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ।

■ भाषाई कौशलों का अध्यापन—

श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल

■ विराम चिह्न— प्रमुख प्रकार

■ व्याकरणीय अशुद्धियाँ — शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि

**PART –V**  
**General English**

**10 Marks**

**UNIT –I: GRAMMAR (2 marks)**

**1. SENTENCE**

- 1.1 simple, complex and compound sentences
- 1.2 subordinate and compound clauses
- 1.3 transformations of sentences

**2. TENSE**

- 2.1 present simple, present progressive (present continuous) and present perfect
- 2.2 past simple, past progressive, (past continuous) and past perfect
- 2.3 indication of future time using present tense, present continuous

**3. VOICE : active, passive (simple present and simple past tense)**

**4. NARRATION: direct, indirect (simple sentences - present, past and future tense)**

**5. MODALS: (will, would, shall, should, ought to, must, have to, can, could, may, might and need to)**

**6. VERB STRUCTURES (Infinitive and gerund)**

**7. QUESTION TAGS**

**8. PREPOSITIONS**

**9. NOUNS (countable and uncountable nouns)**

**UNIT – II: VOCABULARY (2 marks)**

**1. PREFIXES AND SUFFIXES**

**2. ONE WORD SUBSTITUTION**

**3. SYNONYMS AND ANTONYMS**

**4. SPELLINGS**

**5. DERIVATIONS**

**UNIT – III: READING (3marks)**

- 1. UNSEEN PASSAGE (with objective type questions)**

**UNIT – IV: WRITING (3marks)**

- 1. ORGANISING SKILLS**